OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b) The project report received at the Centre in October, 1986 was returned to the State Government in June, 1987 with comments, among others, to clearly establish the water availability on long term basis. The State Government have not complied with the observations.

"Forest Clearance to Srisailam Right Branch Canal Scheme"

964. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Government of India has given Forest Clearance to Srisailam Right Branch Canal (SRBC) Scheme;

(b) is so, the details threof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DR. SUBRAMANIAN SWAMY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The proposal is under examination with this Ministry.

महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

965. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल:** क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लंबित पड़ी हुई महाराष्ट्र की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाडिया): (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) सूचना निम्नवत् है :—

स्वीकृति की स्थिति	परियोजना की प्रकृति	
	बृहद	मध्यम
1. तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को अन्यों के साथ साथ पर्यावरण तथा/अथवा वन स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।	12	18

स्वीकृति की स्थिति	परियोजना की प्रकृति	
	बृहद	माध्यम
2. पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया ।	1	—
3. परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कर दी गयी है क्योंकि परियोजना पुरा होने के अग्रिम चरण कें है।	1	—
4. राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।	—	4
5. परियोजनाए हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं	1	2
	15	24

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट

966. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री जी० स्वामी नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट में भारत की दूरसंचार व्यवस्था को विश्व की सबसे खराब व्यवस्थाओं में से एक बताया गया है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा तथा सरकार द्वारा इस प्रणाली में सुधार करने के लिए किए जा रहे प्रयास क्या हैं;

(ख) विकाशशील देशों में भारत द्वारा मौजूदा स्पिंचिंग क्षमता का अधिकतम कितना प्रतिशत तक उपयोग किया जाता है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय ट्रंककाल लगवाने की औसत दर क्या है तथा प्रति हजार लाइनों पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार दूरसंचार की दक्षता बढ़ाने हेतु डाक निकनेट को गैर-सरकारी बनाने का विचार कर रही है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के कार्यनिष्पादन की तुलना अन्य विकासशील देशों के कार्यनिष्पादन से की जा सकती है। तथापि विभाग (i) मियाद बाहर हुए और जिसे पिटे एक्सचेंजों को बदलने (ii) सभी मनुअल प्रणालियों को स्वचालित बनाने (iii) पेण्टाकोंटा ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों की डिजिटल एक्सचेंज में बदलने (iv) व्यापक पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से प्रणाली की कार्य कुशलता में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रहा है।

(ख) औसत उपयोग लगभग 87 प्रतिशत है।